

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008


कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एस.आर.-25 के तहत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय परिवहन भत्ते में संशोधन।
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा इस विभाग के दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के का.ज्ञा. सं. 19039/3/98-संस्था-IV में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, एस.आर.-25 के तहत स्वीकार्य निर्धारित परिवहन भत्ते की दरों में संशोधन करते हैं, जो कि इस प्रकार से है:-

कार्यालय ड्यूटी पर औसत मासिक यात्रा	निर्धारित परिवहन भत्ता	
	स्वयं की गाड़ी द्वारा यात्रा (रुपए में)	अन्य परिवहन साधनों द्वारा यात्रा (रुपए में)
201-300 कि.मी.	1120	370
301-450 कि.मी.	1680	480
451-600 कि.मी.	2070	640
601-800 कि.मी.	2430	750
800 से अधिक कि.मी.	3000	850

- संशोधित वेतन ढांचे में देय महंगाई भत्तों के 50 प्रतिशत से अधिक होते ही इस भत्ते की दरें स्वतः 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगी।
- ये आदेश 01 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।


(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।